

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही  
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या: 39/2025

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत, जावाल जरिये सरपंच (प्रशासक)/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जावाल, तहसील व जिला- सिरोही
2. मुलचन्द, गोविन्दराम पुत्र चुन्नीलाल जी, जाति- छीपा, निवासी- जावाल, तहसील व जिला- सिरोही

“निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति:

- (1) श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही (प्रार्थी निगरानीकार)
- (2) अधिवक्ता श्री दशरथ सिंह आढा, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से।

—: निर्णय:—

दिनांक 17 फरवरी, 2026

- (1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12-3-2021 एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 29 दिनांक 15-3-2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।
- (2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तांमिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथ सिंह आढा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से जबाव पेश किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को नोटिस की तांमिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं हुये।
- (3) प्रकरण में दिनांक 13-2-2026 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत, सिरोही ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों व तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित हुए यह व्यक्त किया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच हेतु उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 139(48)/पट्टा जांच/सिरोही/विधी/पंच.स./2022/807 दिनांक 24-6-2022 के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल के पट्टों की जांच के सम्बन्ध में प्रदत्त निर्देशों की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही के आदेश क्रमांक 559-65 दिनांक 23-07-2022 के द्वारा जांच कमेटी गठित की गई। जिसकी जांच रिपोर्ट में प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12-3-2021 के द्वारा तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा बुक संख्या 539 से जारी पट्टा विलेख संख्या 29 दिनांक 15-3-2021 में अनियमितता बरती जाने के कारण उक्त निगरानी आवेदन प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत पुराने गृहों का विनियमितीकरण करने का प्रावधान है जिसके अनुसार जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृहों पर कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराए जाने के इच्छुक हैं, वहां उन्हें दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिए 200/- रुपये की राशि वसूल कर प्रारूप 23 (क) में

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर  
सिरोही (राज.)



पट्टा जारी किया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पत्रावली संख्या 13 दिनांक 22-01-2021 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को पट्टा विलेख संख्या 29 दिनांक 15-3-2021 को जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में पुराने गृहों का विनियमितिकरण कर पट्टा जारी करने हेतु दिया हुआ है, जिस पर पूर्ण विवरण दर्ज नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु गठित कमेटी का कोई विवरण पत्रावली पर दर्ज नहीं है एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार, उक्त पट्टा विलेख जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 की पालना नहीं की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 अनुसार यदि पंचायत अंतिम रूप से यह निश्चित करे कि भूमि विक्रय किया जाना है तो उपनियम (2) में अधिकथित रिति से प्रारूप 22 में एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में, इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में एक मास के भीतर-भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करेगी, उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी तथा दुसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाए जाने के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालय में लौटाई जायेगी, परन्तु उपरोक्त पत्रावली में उक्त नियम की पालना नहीं की गई है। उक्त जारी विक्रय विलेख में पत्रावली में आवेदन पत्र में आवेदन की तिथि व स्थान अंकित नहीं किया गया है। दिनांक 05-2-2021 को आयोजित बैठक में ही पत्रावली दर्ज की गई है एवं उसी तिथि को आपत्ति ईशितहार जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत की कमेटी द्वारा सम्पूर्ण बिन्दुओं पर निरीक्षण किया जाना था जो कि नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में दिनांक 12-3-2021 को बैठक किया जाना दर्शाया गया है, उस दिनांक पर उपरी लेखन किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा संधारित मिसल कार्यवाही विवरण के किसी टिप्पणी पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न भूखण्ड की रंगीन फोटो के पृष्ठ पर फोटो चस्पा नहीं है। नजरी नक्शों पर आवेदक, गवाह, सरपंच, वार्डपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त भूमि नियमन/विक्रय के सम्बन्ध में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के रूप में कब्जे के कोई प्रमाण, पंचायत की पत्रावली में मौजूद नहीं है। जांच रिपोर्ट अनुसार आज्ञाओं की सूची पर सरपंच के हस्ताक्षरों का अभाव व वार्डपंचों की गठित कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर का अभाव, नक्शा फार्म पर प्रार्थी एवं सरपंच के हस्ताक्षर का अभाव है। इस प्रकार, उक्त पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही पूर्णतया दोषपूर्ण है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12-3-2021 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष जारी पट्टा विलेख संख्या 29 दिनांक 15-3-2021 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के जबाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण संख्या 2 (दो) के पुराने कब्जे आधिपत्य का पुश्तैनी मकान मय भूखण्ड आबादी ग्राम जावाल में स्थित है जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 2 (दो) का अपने पूर्वजों के समय का पुराना कब्जा भोगवटा होने से अप्रार्थीगण संख्या 2 (दो) ने ग्राम पंचायत जावाल में नियमानुसार पट्टा जारी कराने के लिए आवेदन किया था जिस पर ग्राम पंचायत ने नियमानुसार उसकी मिसल चला कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट कर उक्त पट्टा अप्रार्थीगण संख्या 2 (दो) के पक्ष में जारी किया गया है तथा जो पट्टा जारी किया गया है उस पर भूमि का नाप व चतुदर्शी लिखी हुई है। पट्टा जारी करने के लिए यदि



.....पेज तीन पर  
अति. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)

मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है, तो उसकी पूर्ति की जा सकती है। पट्टा जारी करते समय सरपंच के हस्ताक्षर मौका रिपोर्ट पर नहीं करने की भुल सेवन से हुई है जिसका अप्रार्थीगण से कोई लेना देना नहीं है। जिस भुखण्ड मय मकान का पट्टा जारी हुआ है वह भूमि अप्रार्थीगण संख्या 2 (दो) की पुश्तैनी भूमि है व अप्रार्थीगण के कब्जे आधिपत्य में है, तथा भुखण्ड/मकान के स्वामित्व बाबत निगरानीकार ने निगरानी में कोई ऐतराज नहीं किया है, केवल मात्र पट्टा जारी होने में नियमों की पालना नहीं करने का आरोप लगाया है। पट्टा जारी करने हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी करने की जवाबदारी ग्राम पंचायत की है यदि भुल से प्रक्रिया में त्रुटि हुई है तो उसे सुधारा जा सकता है न की पट्टा निरस्त किया जा सकता है। पट्टा में वर्णित भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की भूमि है, व अप्रार्थीगण संख्या 2 (दो) का उस पर पुश्तैनी कब्जा है जिससे ग्राम पंचायत, जावाल को कब्जा सुदा भूमि का पट्टा जारी करने का हक अधिकार है, व नियमानुसार मौका निरीक्षण कर सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपना कर ही उक्त पट्टा जारी किया गया है। यदि सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने किसी निमनो की अवहेलना की है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। जो प्रार्थी ने नहीं की है व गलत रूप से पट्टा निरस्त करने के लिए यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 2 (दो) को हैरान परेशान करने के लिए यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है, तत्कालिन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा नियमानुसार मौके की स्थिति अनुसार मौका निरीक्षण कर उसकी मिसल चला कर अप्रार्थीगण का पुराना कब्जा भोगवटा होने से पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा समय समय पर पूर्व में काफी लोगो को जारी किये गये हैं। पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में यदि कोई चुक हुई है तो उसको पुरा करने का दायित्व ग्राम पंचायत जावाल का है। उक्त आवासीय पट्टा जारी होने के बाद उसे उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन कराया है, जो एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसे सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है जिससे प्रार्थी को इस निगरानी आवेदन के जरिये पट्टा निरस्त कराने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12-3-2021 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा विलेख संख्या 29 दिनांक 15-3-2021 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा:-

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अधधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल-

- (क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 100/- रुपये (एक सौ रुपये)  
 (ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 200/- रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।



.....पेज चार पर  
 अति. जिला कलक्टर  
 सिरोही (राज.)

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप-खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जांच प्रतिवेदन (जो जिला जन अभियोग एवं सर्तकता समिति, सिरोही में दर्ज प्रकरण संख्या 32/2022 में शिकायत/परिवाद की जांच के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही के द्वारा गठित जांच दल द्वारा जांच कर प्रस्तुत किया गया है) के अवलोकन से एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकॉर्ड व ग्राम पंचायत, जावाल की पत्रावली संख्या 13 मिसल दायर दिनांक 22-01-2021 व मिसल फ़ैसला दिनांक 15-3-2021 की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत आवेदन में पुराने गृहों का विनियमितकरण कर पट्टा जारी करने का अनुरोध किया है, जिसमें भूमि का नाप व क्षेत्रफल अंकित नहीं है तथा आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर व आवेदन की तिथि व स्थान भी अंकित नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु गठित कमेटी द्वारा सम्पूर्ण बिन्दुओं पर निरीक्षण किया जाना था, लेकिन स्थल निरीक्षण हेतु गठित कमेटी द्वारा भूमि पर कब्जे के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं की है तथा भूमि विक्रय/नियमन करने के संबंध में भी स्पष्ट अभिशंषा मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित नहीं की है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित कथनों की तस्दीक पर आवेदक के हस्ताक्षर किये हुए नहीं हैं एवं शपथ पत्र तस्दीक किया हुआ नहीं है। पटवारी रिपोर्ट के प्रपत्र पर पटवारी के हस्ताक्षर किये हुये नहीं हैं। नजरी नक्शों पर भी आवेदक के हस्ताक्षर किये हुए नहीं हैं एवं प्रमाणितकर्ता के हस्ताक्षर भी किये हुये नहीं हैं तथा नजरी नक्शों में भूखण्ड नाप व क्षेत्रफल भी अंकित नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 अनुसार यदि पंचायत यह निश्चित करे कि भूमि विक्रय किया जाना है तो उपनियम (2) में अधिकथित रिति से प्रारूप 22 में एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में, इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में एक मास के भीतर-2 आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करेगी, उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी तथा दुसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाए जाने के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालय में लौटाई जायेगी, परन्तु उक्त विक्रय विलेख के संबंध में पंचायत की पत्रावली में उपलब्ध आपत्ति आव्हान पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर किये हुये नहीं हैं, इस प्रकार, ग्राम पंचायत जावाल द्वारा नियम 148 की भी पालना नहीं की गई है। उक्त भूमि नियमन व विक्रय के सम्बन्ध में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के रूप में कब्जे के कोई सबूत, ग्राम पंचायत, जावाल की मिसल में मौजूद नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) ने उनके जबाव में अंकित कथनों के समर्थन में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान पुराना गृह निर्मित होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा उक्त पट्टा विलेख जारी करने में अनियमितता बरती गई है। ऐसी स्थिति में, उक्त प्रश्नगत प्रस्ताव व पट्टा विलेख को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

#### आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12-3-2021 एवं ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 29 दिनांक 15-3-2021 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17 फरवरी, 2026 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. राजेश गायल)  
अति. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)